न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम, सहरसा

नियमित जमानत आवेदन संख्याI—879/22

थाना सहरसा काण्ड संख्याI—260/21

सिन्टू कुमार..... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी

आवेदक की ओर से— श्री ध्रुव कुमार झा (विद्वान अधिवक्ता)

सरकार की ओर से— श्री कामेश्वर प्रसाद (अपर लोक अभियोजक)

.....

उपस्थितः— कृष्ण कुमार चौधरी

कारा दिनांक 07.09.22

आदेश दिनांक 11.11..22

1. नियमित जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त सिन्टू कुमार द्वारा थाना सहरसा (सदर) काण्ड संख्याI—260/22 अन्तर्गत धारा 379 356/34 भा. द. वि. के अन्तर्गत अपराध में जमानत के लिए दाखिल किया गया है।

2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता दाखिल द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए न्यायालय से निवेदन करते है कि अभियुक्त के द्वारा वर्तमान जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन निम्न न्यायालय के अलावे किसी वरीय अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। वही धारा 379 भा. द. वि. को छोड़कर अन्य धारा 356/34 भा. द. वि. जमानतीय है। अभियुक्त के पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। अभियुक्त को पहचान पैरेड भी नहीं कराया गया है। अभियुक्त का कुल 01 आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त दिनांक 13.06.22 से न्यायिक अभिरक्षा में है, इसलिए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

लगातार...11.11.22

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहते है कि अभियुक्त के विरूद्ध अन्य वाद भी दर्ज है, इसलिए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है, अतः जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों को सुना।

4. अभिलेख के साथ काण्ड दैनिकी उपलब्ध है। प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि सूचक दिनांक 31.03.22 को सुबह लगभग 08.25 बजे अपने घर से जिला निबंधन कार्यालय सहरसा जा रहा था कि जाने के क्रम में भरौली गैस गोदाम से थोड़ा आगे लगभग 08.40 बजे सुबह पेशाब करने के लिए गाड़ी सड़क के किनारे खड़ा कर पेशाब करने लगा, तभी एक मोटर साईकिल होण्डा साइन एस. पी. पर सवार तीन आदमी अचानक आए और सूचक के हाथ में रखे मोबाईल वो सड़क किनारे खड़े बजाज प्लसर जिसमें चाभी लगा हुआ था को चालू करके लेकर भाग गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं केस दैनिकी के कंडिका– 76 के अनुसार इस थाना में अभियुक्त के विरूद्ध कोई काण्ड दर्ज नहीं है। वाद की प्रकृति एवं धारा 379, 356/34 भा. द. वि. अभियुक्त के कारावधि को देखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्णय अर्नेस कुमार बनाम् बिहार सरकार B L J 2014 (3) पेज 109 के अनुसार 07 वर्षों से कम के सजा के अपराध के लिए अभियुक्त को धारा 41 (A) द. प्र. सं. का लाभ देना आवश्यक है, लेकिन अनुसंधानकर्त्ता द्वारा धारा–41 ए0 द0 प्र0 स0 के बिना नोटिश दिये गिरफ्तार किया गया है। जिसके कारण अभियुक्त द्वारा 25,000/–रूपये के दो प्रतिभू दाखिल करने पर इस आदेश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम